

भारत सरकार **BHARAT SARKAR**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**)

No. 2008/RS(G)/779/2

New Delhi, dated 19.9.2012

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C).
The General Manager, CORE, Allahabad.
The General Manager, Metro Railway, Kolkata.
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara.
CAO/Workshop Projects organisation, 1st Floor, Chamber Bhawan, J.C. Road, Patna
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi.
CAO,RCF/RBL/ Old TA Building , Kishan Ganj, Delhi.

Sub: Acceptance of Bank Guarantees submitted by Contractors/Suppliers.
Ref: Board's letter No. 2008/RS(G)/779/2 dated 29.4.2008

Board's instructions dt. 29.4.2008 referred above, stipulates the conditions that

"It should be insisted upon the contractors, suppliers etc. that Bank Guarantees (BGs) to be submitted by them should be sent to the concerned authorities directly by the issuing bank under Registered Post AD.

In exceptional cases, where the BGs are received through the contractors, suppliers etc., the issuing branch should be requested to immediately send by Registered Post AD an unstamped duplicate copy of the Bank Guarantee directly to the Railways with a covering letter to compare with the original BGs and to confirm that it is in order."

In view of prevalent practice of sending document by speed post and courier service, it has been decided to accept 'Speed Post' and 'Courier Service' also as an acceptable method for receipt of Bank Guarantees/Confirmation of Bank Guarantees in addition to Registered Post AD.

This is issued with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy Director, Rly. Stores (G)-I
Railway Board

No. 2008/RS(G)/779/2

New Delhi, dated 19.9.2012

Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. CMEs , CEEs, CSTE's , All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL
4. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
5. The Director of Audit, All Indian Railways.

AM

for Financial Commissioner / Railways
New Delhi, dated 19.9.2012

No. 2008/RS(G)/779/2

Copy to:

1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C).
2. The COS, Metro Railway, Kolkata.

3. The COS, COFMOW, New Delhi.
4. The COS, CORE, Allahabad.
5. CMM/RCF/RBL, Kishanganj, Delhi,
6. COS, Workshops Project Organisation, Patna
7. The Directors-
 - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad.
 - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur.
 - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik.
 - d. Sr.Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara.
 - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune.
 - f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
8. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.
9. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata.
10. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow.
11. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow.
12. Zonal Railway Training Institute, Sukuadia Circle, Udaipur-313004.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)

Dy Director, Rly. Stores (G)-I
Railway Board

No. 2008/RS(G)/779/2

New Delhi, dated 19.9.2012

Copy to :

1. The General Secretary , AIRF, 4 State Entry Road , New Delhi.
2. The General Secretary , NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)

Dy Director, Rly. Stores (G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to:-

- (i) MR, MSR(M), MSR(B)
- (ii) CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, Secy., DG(RHS), DG(RPF)
- (iii) All AMs and Advisors of Railway Board.
- (iv) All Executive Directors of Railway Board.
- (v) All Directors of Elect., Engg., Finance, Mech., Stores, Signal & Telecom Dte. &
- (vi) All Branches of Elect., Engg., Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2008/आरएस(जी)/779/2

नई दिल्ली, दिनांक 19.09.2012

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित उत्पादन इकाइयां।

महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।

महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।

महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/कारखाना परियोजना संगठन, प्रथम तल, चैंबर भवन, जे.सी. रोड, पटना।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/डीआका, पटियाला और कॉफमो, नई दिल्ली।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेडिका/आरबीएल/ओल्ड टीए बिल्डिंग, किशनगंज, दिल्ली।

विषय: ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी को स्वीकार करना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 29.04.2008 का पत्र संख्या 200/आरएस(जी)/779/2

बोर्ड के ऊपर संदर्भित दिनांक 29.04.2008 के अनुदेशों में शर्तें निर्धारित हैं कि

"ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं आदि को जोर दिया जाए कि उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी (बीजी) जारी करने वाले बैंक द्वारा सीधे संबंधित प्राधिकारियों को रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से भेजी जाए।

आपवादिक मामलों में, जहां बैंक गारंटी ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं, जारी करने वाली शाखा से अनुरोध किया जाए कि वह बैंक गारंटी की बिना मुहर लगी डुप्लीकेट कॉपी एक आवरण-पत्र के साथ सीधे रेलों को रजिस्टर्ड पोस्ट एडी के माध्यम से भेजी जाए ताकि मूल बैंक गारंटी के साथ तुलना की जा सके और यह पुष्टि की जा सके कि यह उचित है।"

स्पीड पोस्ट और कूरियर सेवा द्वारा दस्तावेज भेजने की प्रचलित पद्धति को देखते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि बैंक गारंटी/बैंक गारंटियों की पुष्टि प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट एडी के अलावा 'स्पीड पोस्ट' और 'कूरियर सेवा' भी स्वीकार्य पद्धति के रूप में स्वीकार की जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भंडार (सा)-I
रेलवे बोर्ड

सं. 2008/आरएस(जी)/779/2

नई दिल्ली, दिनांक 19.09.2012

प्रतिलिपि:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, रेल डिब्बा कारखाना/रायबरेली, कॉफमो, डीआका

3. सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी सभी भारतीय रेले एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना
4. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां सहित)
5. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2008/आरएस(जी)/779/2

नई दिल्ली, दिनांक 19.09.2012

प्रतिलिपि:

1. सीओएस, सभी भारतीय रेलें एवं एनएफ (निर्माण) सहित उत्पादन इकाइयां।
2. सीओएस, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।
3. सीओएस, कॉफमाउ, नई दिल्ली।
4. सीओएस, कोर, इलाहाबाद।
5. सीएमएम/रेडिका/रायबरेली, किशनगंज, दिल्ली।
6. सीओएस, वर्कशॉप प्रोजेक्ट संगठन, पटना।
7. निदेशक-
 - a. भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग एवं टेलीकॉम संस्थान, सिकंदराबाद।
 - b. भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान, जमालपुर।
 - c. इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, नासिक।
 - d. सीनियर प्रोफेसर (मैटेरियल मैनेजमेंट), रेलवे स्टाफ कालेज, वडोदरा।
 - e. इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, पुणे।
 - f. इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजीस्टिक्स एवं मैटेरियल मैनेजमेंट, आईडीए हाउस, सेक्टर IV, आर.के.पुरम, नई दिल्ली
8. चेयरमेन, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल, चेन्नई।
9. निदेशक, आयरन एंड स्टील, 3, कोइला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
10. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अअमासं, मानक नगर, लखनऊ।
11. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकुडिया सर्कल, उदयपुर-313004.

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक, रेल भंडार (जी)-I
रेलवे बोर्ड

सं. 2008/आरएस(जी)/779/2

नई दिल्ली, दिनांक 19.09.2012

प्रतिलिपि:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. महासचिव, इरपोफ, कमरा सं.268, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, एआईआरपीएफ, कमरा संख्या 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक, रेल भंडार (जी)-I
रेलवे बोर्ड